भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 581

जिसका उत्तर गुरुवार, 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

ओडिशा में न्यायालयों का विकास

581 डा. सस्मित पात्रा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओडिशा, राज्य में न्यायालयों हेतु किए गए विकास का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस संबंध में किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में किए गए कुल व्यय का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तदायित्व राज्य सरकारों में निहित हैं । राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए संघ सरकार ने विहित निधि सहभाजन पैटर्न में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केन्द्रीकृत प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन किया है । स्कीम 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है, इसके अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और निवास स्थानों के संनिर्माण आते है । स्कीम 9,000 करोड़ रु. जिसके अंतर्गत 5,307 करोड़ रु. का केन्द्रीय अंश शामिल है, की बजट लागत के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक विस्तारित की गई है । न्यायालय हालों और आवास गृह के संनिर्माण के अतिरिक्त स्कीम में अब जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अधिवक्ता हाल, डिजिटल कम्प्यूटर कमरें और प्रसाधन परिसरों के संनिर्माण भी आते हैं ।

जैसा कि पहले ही कथित है कि स्कीम का उद्देश्य सरकारों के संसाधनों को पूरा करना है । इस स्कीम में परियोजना वार आवंटन नहीं किया गया है । यद्यपि, स्कीम के अधीन 148.43 करोड़ रु. की रकम वर्ष 1993-94 में स्कीम के प्रारंभ से ओड़िशा राज्य को जारी कर दी गई है । ओड़िशा उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराए गई रिकार्ड के अनुसार 811 न्यायालय हाल और 694 आवासिक इकाई 30.06.2022 तक उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त न्याय विकास वेब पोर्टल के अनुसार क्रमश: 53 न्यायालय हाल और 56 आवासिक इकाई निर्माणाधीन हैं ।

****